145

{ग्यारह} एक ही माता-पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

यह प्रतिबन्ध 1.10.1995 से लड़कियों पर लागू नहीं होगा । तदनुसार एक ही माता-पिता/अभिभावकों की लड़कियों द्वारा प्राप्त की गई छात्रवृत्ति एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो लड़कों तक प्राप्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्वीकार्यता को बुरी तरह प्रभावित नहीं करेगा ।

{बारह} इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति नहीं लेगा । यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रदान की गई है तो छात्र दोनों छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति में से किसी एक को, जो भी उसके लिये अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और किए गए विकल्प के बारे में संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदान कर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी चाहिए । छात्र/छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति स्वीकार करता/करती है, इस प्रोजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जावेगा । तथापि छात्र राज्य शासन से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गई छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है {प्राधिकार: 11017-4-77-एस सी टी -चार, दिनांक 5.9.1978 }

{तेरह} जिन छात्रों ने सरकार से वित्तीय सहायता सहित किसी परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में पहले ही कोचिंग प्राप्त किया है वे पात्र नहीं है ।

नोट:- इन विनियमों के मद संख्या III {पात्रता की शर्तें} के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में चल रहे मैट्रिकोत्तर या उत्तर सेकेण्डरी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएगी, अतः तथ्य बद्ध पाठ्यक्रमों की सूची {क से ङ}, केवल उदाहरणार्थ है, व्यापक नहीं । अतः राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन, अपने स्तर पर पाठ्यक्रमों के उपयुक्त समूह का निर्णय लेने के लिए सक्षम है जैसा कि इस मंत्रालय के पत्र संख्या 11017/13/88-अनु0 सैल दिनांक 3.8.88 में भी सलाह दी गई है ।

4. आय जांच

{i} निम्नलिखित "आय जाँच" के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान किया जाएगा :-

{क} उन छात्रों के मामले जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 33,400 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरी फीस